

एक नवरत्न कंपनी

31.12.2009 को समाप्त तिमाही के गैर-लेखापरीक्षित (स्टैंड अलोन) वित्तीय परिणाम

(रु. लाख में, ईपीएस, शेयरों की संख्या एवं शेयर होल्डिंग का प्रतिशत को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	31.12.2009 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखापरीक्षित)	31.12.2008 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखापरीक्षित)	31.12.2009 को समाप्त नौमाही (गैर-लेखापरीक्षित)	31.12.2008 को समाप्त नौमाही (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2009 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	आय					
	क) प्रचालनों से आय	1,65,320	1,23,377	4,63,499	3,32,791	4,66,493
	ख) अन्य प्रचालन आय	1,849	1,274	8,118	3,111	9,224
	प्रचालनों से कुल आय	1,67,169	1,24,651	4,71,617	3,35,902	4,75,717
2	खर्च					
	क) कर्मचारी लागत	2,649	2,212	7,984	6,943	8,722
	ख) अन्य खर्च	697	542	1,795	2,008	2,307
	ग) ब्याज एवं वित्तीय खर्च	1,02,785	78,775	2,84,266	2,04,199	2,89,715
	घ) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	(1,456)	22	(3,413)	237
	ङ) मूल्यहास	35	47	107	139	136
	कुल खर्च	1,06,166	80,120	2,94,174	2,09,876	3,01,117
3	अन्य आय से पूर्व प्रचालनों से लाभ	61,003	44,531	1,77,443	1,26,026	1,74,600
4	अन्य आय	3,449	2,891	12,186	9,104	17,411
5	लाभ (+)/हानि (-) कर पूर्व	64,452	47,422	1,89,629	1,35,130	1,92,011
6	कर खर्च					
	- वर्तमान वर्ष	17,110	12,588	49,374	36,010	50,842
	- आस्थगित कर	(65)	2,969	74	10,716	13,961
	- गत वर्ष (वसुली)	-	-	(3,844)	-	-
7	निवल लाभ (+)/हानि (-) (5-6)	47,407	31,865	1,44,025	88,404	1,27,208
8	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	85,866	85,866	85,866	85,866	85,866
9	आरक्षित एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन निकालकर)	-	-	-	-	5,33,142
10	मूल और डायल्यूटिड अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति शेयर)	5.52	3.71	16.77	10.30	14.81
11	पब्लिक शेयरहोल्डिंग					
	- शेयरों की संख्या	15,61,20,000	15,61,20,000	15,61,20,000	15,61,20,000	15,61,20,000
	- शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18
12	संप्रवर्तकों एवं संप्रवर्तक समूह शेयर होल्डिंग (क) गिरवी रखे गए/विलिंगमित					
	- शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- शेयरों का प्रतिशत (संप्रवर्तक और संप्रवर्तक समूह की कुल शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत के रूप में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विलिंगमत रहित					
	- शेयरों की संख्या	70,25,40,000	70,25,40,000	70,25,40,000	70,25,40,000	70,25,40,000
	- शेयरों का प्रतिशत (संप्रवर्तक और संप्रवर्तक समूह की कुल शेयर होल्डिंग के प्रतिशत के रूप में)	100	100	100	100	100
	- शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	81.82	81.82	81.82	81.82	81.82

नोट:

- जहां कहीं भी आवश्यक था, पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों को पुनः समीक्षा और पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।
- 31.12.2009 को समाप्त अवधि के उपर्युक्त स्टैंड अलोन वित्तीय परिणामों की 13.01.2010 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा कर ली गई और निदेशक मंडल द्वारा 13.01.2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर रिकार्ड पर ले लिया है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित किए गए विशेष आरक्षित कोष के लिए विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों तथा अन्य इसी तरह के संस्थानों, जो आस्थगित कर देता (डीटोएल) सृजित नहीं कर रही हैं, द्वारा दी गई राय पर ध्यान देते हुए निगम की राय में आईसीआईएफ एएस22 के अनुसार आस्थगित कर देता अपेक्षित नहीं है। तदनुसार कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के लिए तिमाही में रूपए 3,851 लाख (31.12.2009 को समाप्त नौमाही में रूपए 11,159 लाख) की आस्थगित कर देयता सृजित नहीं की है और पिछले वर्षों में इस खाते में 30 सितंबर, 2009 को समाप्त छमाही में रूपए 96,457 लाख की आस्थगित कर देयता रिवर्स करके आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया है। यदि कंपनी ने पिछले वर्षों में अपनाई जा रही पद्धति का अनुसरण किया होता तो 31.12.2009 को समाप्त तिमाही में कर के बाद लाभ रूपए 3,851 लाख और नौमाही में कर के बाद लाभ रूपए 11,159 लाख कम होता।
- विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए अग्रिम रूलिंग एवं आयकर अपील प्राधिकरण हेतु प्राधिकरण के निर्णयों के आधार पर निगम ने 30.09.2009 तक आयकर विभागा से देय आयकर की वापसी के रूप में रूपए 3,844 लाख को हिसाब में शामिल कर लिया है, जिसमें से रूपए 2,050 लाख तिमाही के दौरान पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विद्युत मंत्रालय से स्वीकृत/प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर आरजीजीवीआई स्कोम पर एजेंसी प्रभार के रूप में आय को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जबकि पहले सविस्ती/ऋण के संचित/निर्वाह होने के आधार पर मान्यता देने की नीति थी। इसके परिणामस्वरूप 31.12.2009 तक लाभ में रूपए 2 लाख की वृद्धि हुई है।
- सरकार की अधिसूचना के आधार पर वेतन संशोधन का कार्यान्वयन लंबित है। अतः तिमाही के लिए रूपए 503 लाख (31.12.2009 को समाप्त नौमाही के लिए रूपए 1,521.24 लाख) के वेतन संशोधन का प्रावधान अनुमानित आधार पर कर दिया गया है।
- निगम ने वित्त वर्ष 2009-10 में रूपए 10/- के प्रति इक्विटी शेयर पर रूपए 3.00 के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।
- इस समय निगम की लेखाकरण मानक-17 की शर्तों के अनुसार रिपोर्टिंग के लिए एक से अधिक संगमट में पात्रता नहीं है।
- ये परिणाम कंपनी के संयुक्त सांख्यिक लेखापरीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।
- सूचीबद्ध करार की धारा 41 के अनुसरण में, निवेशकों की शिकायतों के व्योरे निम्न अनुसार हैं:-

सूचीबद्ध प्रतिभूतियां	01.10.2009 को लंबित	तिमाही के दौरान प्राप्त	तिमाही के दौरान निपटाए गए	31.12.2009 को लंबित
ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	5	5	शून्य
इक्विटी शेयर	शून्य	324	317	7

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
ह./-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13.01.2010

(पी. उमा शंकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिस्कलेमर

“रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को अगर अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो बाजार की स्थिति और अन्य बातों को देखते हुए अपने इक्विटी शेयरों के लिए पुनः सार्वजनिक इश्यू का प्रस्ताव लाना चाहता है, जिसके लिए रेड हैरिंग प्रास्पेक्टस का मसौदा (“डीआरएचपी”) तैयार कर सिस्ट्रिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के पास फाइल कर दिया है। डीआरएचपी सेबी की वेबसाइट www.sebi.gov.in तथा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) की वेबसाइटों www.kmcc.co.in, www.dspl.com, www.icicisecurities.com, www.jmfincinancial.in तथा www.abnamro.co.in पर भी उपलब्ध है। निवेशक ध्यान रखें कि इक्विटी शेयरों में निवेश करना अत्यंत जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे संबंधित विवरणों के लिए उपर्युक्त डीआरएचपी के मसौदे में ‘रिस्क फैक्टर्स’ शीर्षक भाग पढ़ लें।

यह विज्ञापन संयुक्त राज्य अमरीका या कहीं अन्य प्रतिभूति की बिक्री के लिए प्रस्ताव नहीं है। संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, अथवा इससे छूट के तहत पंजीकरण न होने पर प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य में नहीं बेची जा सकती। जारीकर्ता और प्रतिभूति बिक्री होल्डर ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, के तहत किसी प्रतिभूति को रजिस्टर नहीं किया है और न ही करना चाहता है। संयुक्त राज्य अमरीका में जनता को कोई प्रतिभूति देने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी को संयुक्त राज्य कंपनी अधिनियम 1940, यथा संशोधित, के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और निवेशक इस अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं होंगे। किसी व्यक्ति से कोई धन, प्रतिभूति अथवा अन्य कारणों से स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर इन लिखित दस्तावेजों में निहित सूचना के प्रयुक्त में इन्हें भेजा जाता है, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

संपूर्ण भारत में विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

आरईसी के 6.25% कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेंप्शन बांड्स में निवेश करें - इश्यू खुला है